न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 77 / 2025

बालकृष्ण मिश्रा पुत्र जगदीश नारायण मिश्रा निवासी संतोष नगर टोंक तहसील व जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी रिकार्ड शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> दिनांक 01.10.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी रिकार्ड शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 23.07.2025 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

प्रार्थी के पिता श्री जगदीश मिश्रा बनाम भगवतीलाल का प्रकरण आपके कार्यालय एवं आपके अधीनस्थ कार्यालय में इन्द्राज हो रखा है, जिसकी पत्रावली की फोटो प्रति दिलाने की कृपा करे। प्रकरण संख्या 441 दिनांक 1.07.1950 मातमी चतुर्भुज माफीदार के कम में।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी रिकार्ड शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 1695 दिनांक 28.08.2025 व 1821 दिनांक 16.09.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी रिकार्ड शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक 303 दिनांक 23.09.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को रिकार्ड रूप में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करवा दिया गया है, उक्त प्रकार का कोई रिकार्ड कार्यालय हाजा में उपलब्ध नही है। इस बाबत् प्रार्थी को उनके पत्र कमांक 299 दिनांक 12.09.2025 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी रिकार्ड शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

722

रजिस्टर्ड

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

क्रमांक : रीडर / 2025 / 1987 दिनांक 14/10/2025

लोक सूचना अधिकारी एंव
प्रभारी अधिकारी रिकार्ड शाखा
कलेक्ट्रेट टोंक

बालकृष्ण मिश्रा पुत्र जगदीश नारायण मिश्रा निवासी संतोष नगर टोंक तहसील व जिला टोंक राज0

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी रिकार्ड शाखा कलेक्ट्रेट टोंक

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

उपरोक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत होने पर अपील का निस्तारण दिनांक 1.10.2025 को किया जा चुका है। निर्णय प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न– निर्णय प्रति न्यायालय हाजा दि0 1.10.2025

आज्ञा से
रीडर
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

क्रमांक : रीडर / 2025 / 1988 दिनांक 14/10/2025

प्रतिलिपि: बालकृष्ण मिश्रा पुत्र जगदीश नारायण मिश्रा निवासी संतोष नगर टोंक तहसील व जिला टोंक राज. पिन 322023 को निर्णय प्रति सूचनार्थ प्रेषित है।

आज्ञा से
रीडर
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक